

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा व इजलास : पर्वत सिंह चुण्डावत (आरएएस)
प्रकरण संख्या 34/2016
उनवान मुकदमा

1. श्री बिजिया आत्मज श्री धनजी जाति डिण्डोर भील, उम्र 60 वर्ष, निवासी सालिया, पटवार हल्का खेडा, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) —वादी

बनाम

1. श्री कमजी आत्मज श्री धनजी, जाति डिण्डोर भील, उम्र 70 वर्ष, निवासी सालिया, पटवार हल्का खेडा, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री मलु आत्मज श्री धनजी जाति डिण्डोर, जाति डिण्डोर भील, उम्र 55 वर्ष, निवासी सालिया, पटवार हल्का खेडा, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) —प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-02.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे एवं हाजरी वादी अभिभाषक उपस्थित प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है ।

संक्षेप्त में निर्णय इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2019 को उक्त प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री जारी कर बटवारा नामा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार आंबापुरा को आदेशित किया गया था। तहसीलदार आंबापुरा ने उक्त निर्णय की पालना में अपने पत्र क्रमांक 18 दिनांक 05.02.2019 द्वारा निर्णय के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव दो परतों में तैयार कर नक्षा ट्रेस प्रस्तुत किया है । जिस पर खूले न्यायालय में उभयपक्ष की दिनांक 02.03.2020 को बहस सूनी जाकर विस्तृत निर्णय पत्रावली में फर्द अहकाग पर पृष्ठांकित किया गया है । तदनुसार प्रारंभिक डिक्री की पालना स्वीकार कर अंतिम डिक्री पर्चा मय स्टाम्प ड्यूटी जारी कर तहसीलदारा आंबापुरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत पालना अनुसार वादी व प्रतिवादी के बीच बटवारा कर मय नामान्तरकरण खोलकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

इस निर्णय की डिक्री में खर्चा मुकदमा पक्षकारान का मुबलिग पक्षकारान का शून्य बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।


बसब मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 02.03.2020 को जारी की गई।

| क्र.स. | नाम ग्राम | नाम खातेदार मय पिता | खसरा नम्बर | रकबा बीघा में | किस्म | लगान |
|--------|-----------|---|------------|---------------|-------|------|
| 1 | सालिया | कमजी पिता धनजी भील साकिन देह खातेदार | 72 | 0-15 | का.क. | 0-68 |
| | | | 84 | 2-02 | का.क. | 1-91 |
| | | | 92/1 | 1-15 | का.क. | 1-59 |
| | | | 96/2 | 0-19 | का.क. | 0-86 |
| | | | 200/15/2 | 1-10 | खरडी | 0-37 |
| | | | 202/15/2 | 0-11 | खरडी | 0-14 |
| | | | 210/17 | 0-05 | खरडी | 0-06 |
| | | | 256/74/1 | 0-03 | खरडी | 0-06 |
| | योग | | 8 | 8-00 | | 5-67 |




उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----------|------|--------|------|
| 2 | सालिया | बिजीया पिता धनजी भील साकिन देह खातेदार | 72/1 | 0-15 | का.का. | 0-68 |
| | | | 84/2 | 2-02 | का.का. | 1-91 |
| | | | 92 | 1-15 | का.क. | 1-59 |
| | | | 96 | 1-00 | का.क. | 0-91 |
| | | | 199/14 | 0-03 | खरडी | 0-04 |
| | | | 200/15/1 | 1-11 | खरडी | 0-39 |
| | | | 202/15/1 | 0-12 | खरडी | 0-15 |
| | | | 210/17/2 | 0-06 | खरडी | 0-07 |
| | | | 256/74/2 | 0-03 | रा.क. | 0-06 |
| योग | | | 9 | 8-07 | | 5-80 |
| 3 | सलिया | मलु पिता धनजी साकिन देह खातेदार | 72/2 | 0-16 | का.क. | 0-73 |
| | | | 84/1 | 2-03 | का.क. | 1-96 |
| | | | 92/2 | 1-15 | का.क. | 1-60 |
| | | | 96/1 | 1-00 | का.क. | 0-91 |
| | | | 200/15 | 1-11 | खरडी | 0-39 |
| | | | 202/15 | 0-12 | खरडी | 0-15 |
| | | | 210/17/1 | 0-06 | खरडी | 0-08 |
| | | | 256/74 | 0-04 | रा.क. | 0-08 |
| योग | | | 8 | 8-07 | | |


 (पर्वत सिंह चुण्डावत)
 उपखण्ड अधिकारी
 बांसवाड़ा

| मुदई | रूपया पैसा | मुदवायलह | रूपया पैसा |
|----------------------|------------|---------------------|------------|
| स्टाम्प की अरजी दावा | शुन्य | स्टाम्प वकालतनामा | शुन्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शुन्य | स्टाम्प अरजी | शुन्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शुन्य | मेहनतनामा वकील | शुन्य |
| मेहनतनामा वकील | शुन्य | खर्चा गवाहान | शुन्य |
| खर्चा गवाहान | शुन्य | फीस कमिशनर | शुन्य |
| फीस कमिशनर | शुन्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शुन्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शुन्य | मुतफरीक | शुन्य |
| मुतफरीक | शुन्य | | |
| कुल | शुन्य | कुल | शुन्य |




 उपखण्ड अधिकारी
 बांसवाड़ा
 बांसवाड़ा (राज.)